<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायपुर,जिला–रायपुर (छत्तीसगढ)</u>

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 10.06.2019

जमानत याचिका क्रमांक 1408/2019

अनिल कुमार गायकवाड़, उम्र 26 वर्ष,
पिता श्री पुनीत राम गायकवाड़
निवासी ग्राम– अटारी नंदनवन,
थाना–कबीर नगर, रायपुर
जिला–रायपुर,छ.ग. **––––आवेदक/ अभियुक्त**

– विरूद्ध –

छ.ग. राज्य **–––––– अनावेदक**

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10/06/2019 आवेदक/अभियुक्त अनिल कुमार गायकवाड़ की ओर से कु. शमीम रहमान, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री विजय लांजे, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 द0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

थाना कबीर नगर, रायपुर के अपराध क्रमांक 165/2019 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र के तथ्य एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अपराध में वह दिनांक 2.6.2019 को गिरफ्तार होकर कु.दीप्ति सिंह गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहॉ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध रखा गया है। उक्त् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 437 द0प्र0सं0 दिनांक 4.6.2019 को निरस्त किया गया है । यह उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन वर्तमान में अथवा पूर्व में उच्च न्यायालय या अन्य सत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न

ही लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदक निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है । आवेदक रोज कमाने–खाने वाला युवक है तथा आरा मील में मजदूरी कर अपने तीन छोटे बच्चों का पालन–पोषण करता है। घटना दिनांक को आवेदक/ अभियुक्त को प्रार्थी के द्वारा सोंची–समझी साजिश के तहत् बुलाया जाकर बिना किसी कारण के झगड़ा कर गाली–गुप्तार किया गया और स्वयं जाकर षड़यंत्र कर बेबुनियाद, रंजिशवश एवं झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अधिरोपित धारा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक रायपुर जिले का स्थायी निवासी है। वह जमानत की शर्तो का पालन करेगा और फरार नहीं होगा, उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है और आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

थाना कबीर नगर, रायपुर के अपराध कमांक 165/2019 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी का अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 02.06.2019 को थाना कबीर नगर, रायपुर के सहायक उपनिरीक्षक नरेश कुमार देवांगन टाउन भ्रमण में हमराह पेट्रोलिंग स्टाफ आर.06, 1261, 2568 के साथ रवाना हुआ था कि भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अटारी रूंगटा कालेज के पास एक व्यक्ति धारदार तलवार लेकर आम लोगों को डरा–धमका रहा है। उक्त् सूचना पर हमराह बल के मौके पर पहुंचा और एक व्यक्ति को आम जगह पर हाथ में तलवार पकड़े लहराते, लोगों को डराते–धमकाते पकड़ा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम अनिल कुमार गायकवाड़ बताया बताया। अभियुक्त को धारा 91 द0प्र0सं0 की नोटिस देकर तलवार के

संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने कहने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज या लाईसेंस नही होना बताये जाने पर उक्त तलवार, जिसके फल की लंबाई 26 इंच, मुठ की लंबाई 4 इंच थी, को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्र तैयार किया गया। थाना–कबीर नगर, रायपुर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक– 165/2019, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। अभियुक्त को दिनांक 02.06.2019 को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण जारी है।

अभियुक्त रायपुर जिले का स्थायी निवासी बताया जा रहा है तथा वह दिनांक 2.6.2019 से अभिरक्षा मे है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते हुये **अभियुक्त के द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/ अभियुक्त अनिल कुमार गायकवाड़ अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000/– (दस हजार) रूपये की एक सक्षम प्रतिभूति एवं समतुल्य राशि का बंध पत्र प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।**

आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तथा एक प्रतिलिपि के साथ केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, व्यवस्थित कर, अभिलेखागार में भेजा जावे।

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर
(छ.ग.)